

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन
पटना।

पटना, दिनांक : 08-01-19

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अन्य इकाईयो में कुल ₹3,04,000/- (तीन लाख चार हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-12(7)ब दिनांक-12.06.18, 24(7)ब दिनांक-23.07.18, 27(7)ब दिनांक-05.09.18, 47(7)ब दिनांक-11.10.18 एवं 69(7)ब दिनांक-28.12.18 के क्रम में संलग्न विवरणी अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अन्य इकाईयो में कुल ₹3,04,000/- (तीन लाख चार हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना एवं सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना / 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संकामक रोग कर्मचारी वर्ग / मोटर चालक/ मोटर बोट सांरग चालक/ अधीक्षण उप योजना के अन्य मदों के भुगतान हेतु संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में तुरत करेगे तथा उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।

8. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

08/1/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

रजि

ज्ञापांक : 80(7)0

पटना, दिनांक : 08 - 01 - 19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

08/1/19



सरकार के विशेष सचिव

रजि.

विपत्र कोड संख्या-20-2210010010002 अन्तर्गत अतिरिक्त आवंटन ।

क्रम	जिला का नाम	कार्यालय व्यय (13-01)	सामग्री एवं पूर्तियों (21-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पटना	294000	10000	304000	8956/29.12.18
	कुल	294000	10000	304000	


(तीन लाख चार हजार) रू० मात्र


 सरकार के विशेष सचिव


उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	520013000	469375000	0	469375000	50638000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	52001000	49023500	0	49023500	2977500
3	भकान किराया भत्ता (0002-01-04)	74474000	72584750	0	72584750	1889250
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	4112000	2005000	0	2005000	2107000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	10260000	6998935	0	6998935	3261065
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	38640000	30621850	0	30621850	8018150
7	त्यौहार अग्रिम (0002-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	700000000	630609035	0	630609035	69390965
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	1000000	986758	0	986758	13242
9	यात्रा व्यय (0002-11-01)	2500000	1891000	0	1891000	609000
10	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	5000000	4706000	294000	5000000	0
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	3000000	3000000	0	3000000	0
12	दूरभाष (0002-13-03)	300000	300000	0	300000	0
13	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	6550000	6550000	0	6550000	0
14	विधि प्रभार (0002-13-05)	2000000	1995000	0	1995000	5000
15	बर्दी/ पोषाक (0002-13-06)	300000	291000	0	291000	9000
16	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	1110000	1097000	0	1097000	13000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियों (0002-21-01)	1500000	1490000	10000	1500000	0
19	दवा भंडार (0002-21-02)	2400000	2400000	0	2400000	0
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	संविदा सेवाएँ (0002-28-02)	2000000	2000000	0	2000000	0
22	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	730162000	657315793	304000	657619793	72542207

80(7)A
 08-01-19


 सरकार के विशेष सचिव
